हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी
Board of School Education Haryana, Bhiwani
(Established Under Haryana Board of School Education Act, 1969)

Circular No:- BSEH/HOS/2026/09 Date:- 18-09-2026

प्रैस–नोट

सैकेण्डरी/सीनियर सैकेण्डरी (मु0वि0) अक्तूबर–2026 में सी0टी0पी0/ओ0सी0टी0पी0/रि–अपीयर/अतिरिक्त विषय/पूर्ण अंक सुधार/आंशिक अंक सुधार श्रेणी हेतु अपीयर हुए परीक्षार्थियों की परीक्षा के प्रवेश–पत्र दिनांक 22.09.2026 से बोर्ड वैबसाईट www.bseh.org.in पर दिए गए लिंक से पिछले अनुक्रमांक/नाम/पिता का नाम/माता का नाम/रजिस्ट्रेशन नं0 भरते हुए डाउनलोड़ कर सकते है।

परीक्षार्थी प्रवेश–पत्र का रंगीन प्रिन्ट A4 Size Paper पर ही निकालना सुनिश्चित करें। प्रवेश–पत्र का रंगीन प्रिन्ट लेने उपरांत विवरणों को भली भॉंति जांच लें, यदि विवरणों में कोई त्रुटि है, तो दिनांक 25.09.2026 तक शुद्धि से सम्बन्धित मूल दस्तावेज एवं शुद्धि शुल्क सहित बोर्ड कार्यालय में व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित होकर शुद्धि करवा सकते है। यदि किसी परीक्षार्थी का अनुक्रमांक किसी कारणवश रोका गया है, तो वे परीक्षा से पूर्व बोर्ड कार्यालय में व्यक्तिगत तौर पर आकर वांछित दस्तावेज उपलब्ध करवाते हुए प्रवेश–पत्र जारी करवा सकते हैं। परीक्षा आरम्भ होने उपरान्त किसी भी परीक्षार्थी को फोटो व हस्ताक्षर परिवर्तन करने की अनुमति नहीं दी जायेगी। परीक्षार्थी परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा से 30 मिनट पूर्व पहुंचना सुनिश्चित करेंगे। परीक्षार्थी अपने मूल आधार कार्ड एवं रंगीन प्रवेश–पत्र सहित परीक्षा केन्द्र पर पहुंचेगें। यदि किसी दिव्यांग परीक्षार्थी को लेखक की सुविधा लेनी है तो परीक्षा केन्द्र के मुख्य केन्द्र अधीक्षक/केन्द्र अधीक्षक द्वारा मुख्य चिकित्सा अधिकारी से प्रमाणित दिव्यांग प्रमाण–पत्र/UDID Card की जांच करने उपरान्त दिव्यांग परीक्षार्थी को परीक्षा आरम्भ होने से एक घण्टा पूर्व लेखक उपलब्ध करवाया जाएगा, इसके अतिरिक्त बोर्ड कार्यालय में सहायक सचिव द्वारा मुख्य चिकित्सा अधिकारी से प्रमाणित दिव्यांग प्रमाण–पत्र/UDID Card की जांच करने उपरान्त दिव्यांग परीक्षार्थी को परीक्षा आरम्भ होने से एक दिन पूर्व लेखक उपलब्ध करवाया जाएगा। इसके अतिरिक्त परीक्षार्थी द्वारा किसी अन्य/दूसरे के स्थान पर परीक्षा में प्रवेश होना/परीक्षा देना एक दण्ड़नीय अपराध है, जिसमें परीक्षार्थी के विरूद्ध एफ0आई0आर0 दर्ज करवाई जा सकती है इसलिए ऐसी मानसिकता से बचें।

हस्ता0
सचिव